"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2006—आश्विन 14, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2006

क्रमांक एफ 4-13/2002/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री फखरूद्दीन, तत्कालीन न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 05 मई, 2006 से 10 मई, 2006 तक (06 दिवस) का एवं दिनांक 18 जुलाई, 2006 से 21 जुलाई, 2006 तक (04 दिवस) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2006

विषय :- राज्य के अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों/कलाकारों को मासिक सहायता प्रदान करने बाबत.

क्र. 952/30/1/सं./2006.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित साहित्यकारों/कलाकारों को उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई अवधि तथा दर से प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाने की स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र.	नाम और पता	प्रतिमाह	अवधि
1.	श्री देवी लाल नाग, ग्राम कन्हारपुरी, वार्ड नं. 28 जिला राजनांदगांव.	700/-	1 अप्रैल, 2006 से आजीवन पेंशन देय होगा.

उक्त आर्थिक सहायता पर होने वाला व्यय मांग संख्या 26, मुख्य लेखा शीर्ष 2202, सामान्य शिक्षा 05, भाषा विकास 102, आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन 285 अर्थाभावग्रस्त ख्याति प्राप्त साहित्यकारों/कलाकारों को वित्तीय सहायता, 14 सहायक अनुदान 011 वैयक्तिक अनुदान आयोजनेत्तर मद वर्ष 2006-07 के बजट प्रावधान से विकलनीय होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, अतिरिक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2006

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, कोरबा के बायलर क्रमांक एम.पी./3542 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 28-6-2006 से 31-7-2006 तक की कार्योत्तर छूट प्रदान करता है :—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शंकरराव ब्राह्मणे, उप सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 21 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 2/ अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	वाड्रफनगर	सोनहत	0.74	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्र.-2, अंबिकापुर.	सोनहत जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, वाड्रफनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 21 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 2/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	वाड्रफनगर	इंजानी	13.40	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्र.-2, अंबिकापुर.	इंजानी जलाशय डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, वाड्रफनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 21 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 3/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	वाड्रफनगर	लोधी	12.09	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्र.-2, अंबिकापुर.	लोधी जलाशय योजना के डूब क्षेत्र, नहर, बांध एवं स्पिल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, वाड्रफनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 13/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	देवरी	3.450	कार्यपालन अभियन्ता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन माइनर हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 28/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	हरदी	2.746	कार्यपालन अभियन्ता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	टेसुवा व्यपवर्तन मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 27/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	किरना	2.023	कार्यपालन अभियन्ता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	टेसुवा व्यपवर्तन मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 29/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	कान्हरपुर	0.983	कार्यपालन अभियन्ता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	टेसुवा व्यपवर्तन मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 30/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	भठली	0.597	कार्यपालन अभियन्ता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	टेसुवा व्यपवर्तन मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 12/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	देवरी	0.162	कार्यपालन अभियन्ता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन माइनर हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 14/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	जरेली	0.109	कार्यपालन अभियन्ता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन माइनर हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 15/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	दलपुरवा	0.590	कार्यपालन अभियन्ता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन माइनर हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 17/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	दलपुरवा	0.498	कार्यपालन अभियन्ता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन माइनर हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 18/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	देवरी	0.914	कार्यपालन अभियन्ता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 19/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	जुनवानी	0.089	कार्यपालन अभियन्ता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 20/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
ज़िला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	दलपुरवा	2.953	कार्यपालन अभियन्ता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 31/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	पौंसरी	2.680	कार्यपालन अभियन्ता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	टेसुवा व्यपवर्तन पौंसरी शाखा नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 32/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	बरछा	0.591	कार्यपालन अभियन्ता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	टेसुवा व्यपवर्तन शाखा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 33/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	केवइया	0.875	कार्यपालन अभियन्ता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	टेसुवा व्यपवर्तन शाखा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 34/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	परसदा	0.591	कार्यपालन अभियन्ता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	टेसुवा व्यपवर्तन शाखा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 35/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	बरछा	0.610	कार्यपालन अभियन्ता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	टेसुवा व्यपवर्तन डिघोरा शाखा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/8 अ/82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-बोईरडीह, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.318 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	172	0.227
	171	0.454
	170/1	1.275
	170/2	0.259
	169/1	0.075
	169/2	0.025
	169/3	0.025
	169/4	0.025
	167/1	0.275
	168/1	0.101
	168/2	0.101
	168/3	0.203
	167/2	0.273
योग	13	3.318

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-तिल्दा बांधा जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 21 सितम्बर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-गोपालपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.99 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
174	0.26
175	0.27
176	0.24
177	0.01
180	0.33
181	0.15
182	0.01
184	0.31
185	0.09
186	0.16
187	0.04
188	0.20
203	0.69
211	0.22
212	0.02
220	0.27
221	0.02
222	0.10

(1)	(2)
225	0.13
320	0.13
321	0.20
322	0.24
323	0.14
325	0.49
364	0.11
365	0.12
367/2	0.04
योग	4.99

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-गोपालपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 21 सितम्बर 2006

भू-अर्जन/प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-गोपालपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.95 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
5	0.42
7	0.35
8	0.52
9	0.40
10	0.51
11	1.02
12	1.19
213	0.23
215	0.20
216	0.26
217	0.35
218	0.50
योग	5.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-गोपालपुर जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 28 जून 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पटेलपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.028 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	115/2	0.352
	115/8	0.352
योग	2	0.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भूजबंधान जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 जून 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-कुसमुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.502 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	700/2	0.502
योग	1	0.502

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कंठीटार जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 जून 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-झुलनपाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.784 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	92/3	0.032
	103/2	0.040
	105/1	0.194
	105/3	0.202
	105/4	0.316
योग	5	0.784

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सांड़केला जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 जून 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-रायगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-अड़बहाल
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.704 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	103/1 क	0.352
	103/1 ख	0.352
योग	2	0.704

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अड़बहाल जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 सितम्बर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-सारंगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-परसकोल, प. ह. नं. 11
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.696 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	568/1	0.004
	562/5	0.010
	563/2	0.008
	559/1	0.045
	562/1 ख	0.004
	547/2	0.012
	547/3	0.004
	562/1 क	0.008
	562/1 ग	0.004
	559/2	0.016
	562/3	0.010
	567	0.024
	564	0.020
	548	0.004
	562/2	0.016
	544/2	0.024
	559/3	0.016
	558	0.028
	561/1	0.097
	565	0.012
	568/4	0.024
	560/1	0.020
	545/2 क	0.048
	545/2 ख	0.049
	562/4	0.020
	563/1	0.012
	557	0.004
	559/4	0.012
	559/5	0.008
	566/1	0.020
	566/2	0.016
	547/1	0.012
	545/1	0.085
योग	33	0.696

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सेतु निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 18 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 1 अ/82-04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-भगतपुर, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.902 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
93/2	0.016
102/14	0.040
102/10	0.040
102/5	0.053
109/1, 110/1	0.028
109/2, 110/2	0.28
102/1	0.068
108/2	0.020
108/3	0.020
102/5	0.016
102/24	0.053
125	0.036
102/17	0.049
102/11	0.049
103	0.162
126/3	0.077
126/1	0.008
126/2	0.077
126/4	0.061
योग 21	0.902

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है भगतपुर में सैंहामालगी सड़क निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 18 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 2 अ/82-04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-मोहतराकला, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.611 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
337	0.053
42	0.012
805/4	0.008
804/5	0.045
805/1	0.008
804/6	0.032
805/2	0.008
868/5	0.045
868/3	0.032
868/8	0.016
868/7	0.037

	(1)	(2)
	868/2	0.024
	868/8	0.016
	868/1	0.008
	868/9	0.021
	868/4	0.037
	873/4	0.016
	873/1	0.032
	873/3	0.077
	875/1	0.024
	874	0.012
	875/2	0.024
	875/3	0.024
योग	23	0.611

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भगतपुर से सैहामालगी सड़क निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 18 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 3 अ/82-04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
 (ख) तहसील-पंडरिया
 (ग) नगर/ग्राम-सैहामालगी, प. ह. नं. 25
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.226 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	700/1	0.109
	700/2	0.045
	700/3	0.072
योग	3	0.226

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भगतपुर से सैहामालगी सड़क निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 18 अगस्त 2006

क्रमांक 12/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बिलासपुर
 (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
 (ग) नगर/ग्राम-गौरेला
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.31 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
104	0.34
122	0.60
276/1	0.25

(1)	(2)
268	0.23
251, 252	0.11
279	0.23
115	0.50
19	0.07
20	0.08
25/1 क	0.18
270/3	0.11
111	0.17
113	0.07
109/13	0.13
277	0.03
16/3, 21/1	0.17
13/1	0.32
38	0.31
109/7	0.07
269/1	0.17
271/ 1 घ	0.07
103	0.10
141/1	0.03
51	1.00
139/1	0.29
142/1	0.11
248	0.23
271/1 क, 271/1 ग	0.17
124	0.20
127	0.17
109/10	0.14
130	0.41
129	0.11
128/1	0.52
128/2	0.57
109/15	0.15
112	0.18
109/14	0.13
22/1	0.07
144	0.45
143	0.06
49/1	0.45
42/1, 43/1	0.45
121	0.03
49/2	0.88
50/2	0.20
योग 44	11.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मल्हनिया जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 8 मार्च 2006

रा. प्र. क्र./15/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-सीतापुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.677 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
813	0.223
831	0.069
833	0.121

(1)	(2)
814	0.057
816	0.024
817	0.109
818/1	0.061
820/1	0.033
830	0.024
821/1	0.004
योग	0.677

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 21 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र./02/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-वाड्रफनगर
- (ग) नगर/ग्राम-सोनहत
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.74 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
706	0.04
733	0.08
735	0.03
1581	0.05
1583	0.05
1585	0.05
1525	0.04
1524	0.03
1523	0.05
1455	0.04
1522	0.04
1504	0.05
1554	0.05
1452	0.04
1451	0.02
1432	0.02
1433	0.02
1424	0.02
1426	0.02
योग 19	0.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनहत जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 21 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र./02/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-वाड्रफनगर
- (ग) नगर/ग्राम-इंजानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.40 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1434	0.20

(1)	(2)
1426	0.29
1367	0.03
1432	0.25
1425	1.48
1362	0.20
467	0.18
1428	0.22
1421	0.09
1456	0.48
1436	2.38
1439	0.58
1373	0.14
1459	0.20
1374	0.07
1405	0.14
1427	0.01
1455	0.44
1435	0.64
1444	0.42
1437	0.04
1446	0.63
1397	0.14
1375	0.02
1422	0.09
1442	0.18
1448	1.18
1443	0.29
1453	0.30
1457	0.25
1369/1	0.04
465	0.18
1445	1.63
1369/2	0.04
योग 34	13.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-इंजानी जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 21 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र./03/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-वाड्रफनगर
(ग) नगर/ग्राम-लोधी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.09 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
31/1	0.10
31/2	0.10
154/2	0.03
154/3	0.03
154/4	0.03
154/5	0.03
154/6	0.03
154/7	0.03
281/1	0.11
710	0.06
712/5	0.01
281/2	0.04
281/3	0.04
712/6	0.02
281/6	0.03
281/8	0.04
281/9	0.07
281/10	0.09
281/11	0.10
547/1	0.02
547/4	0.02
547/2	0.03
547/3	0.02
547/5	0.01

(1)	(2)
547/8	0.02
547/9	0.05
711/3	0.15
547/10	0.06
711/2	0.05
712/1	0.12
712/3	0.10
547/11	0.02
568	0.03
569	0.09
709	0.10
570	0.11
699	0.14
712/11	0.51
711/1	0.06
711/4	0.05
712/6	0.47
712/30	0.11
712/2	0.09
712/20	0.78
712/24	0.32
752	0.18
712/4	0.41
712/9	0.47
712/8	0.02
712/12	0.30
713	0.70
727	0.43
712/13	0.72
712/14	0.09
712/19	0.31
712/29	0.31
712/22	0.18
712/25	0.25
712/23	1.54
729	0.68
755	0.31
757	0.24
759	0.23
योग	12.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोधी जलाशय के बांध, डूब क्षेत्र, नहर एवं स्पिल निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 21 सितम्बर 2006

क्रमांक 7247/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पारागांव खुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-29.19 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
9	1.58
10	0.70
254/1	0.45

(1)	(2)
217	1.00
11/1	0.13
11/12	0.13
11/3	0.07
11/1	1.12
12	0.03
259	0.70
258/3	0.24
258/2	0.17
258/1	0.12
255/1	0.20
255/2	0.20
236	0.70
256	0.12
246	0.90
244	0.70
245	0.75
238/2	0.25
238/1	0.05
239	0.50
225	0.96
226	0.08
227	0.15
218	0.06
193	0.48
200/1	0.20
208/1	0.70
208/2	0.38
200/2	0.20
202	0.15
203	0.20
194	0.10
196	0.55
197	0.50
192	0.36
191/1	0.17
191/2	0.05
185	0.89
183	0.95
184	0.14
182/4	0.31
182/1	0.24
390	0.27
392/2	0.20
397	0.38
392/6	0.18
392/1	0.10
392/5	0.05
393	0.42
409	0.20
407	0.11
405	0.05
406	0.18
423	0.34
452/1	0.48
452/3	0.78
452/4	0.44
446	1.60
444	0.20
445/2	0.40
466/5	0.12
445/2	0.18
445/3	0.03
445/5	0.01
450	0.27
449	0.27
464	0.42
447/1	0.45
447/2	0.45
465/4	0.26
465/3	0.02
466/6	0.32
466/7	0.30
467/1	0.32
469/1	0.24
471	0.10
395	0.42
योग 80	29.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जामरी व्यपवर्तन क्रमांक-2 दायीं तट नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 सितम्बर 2006

क्रमांक 7248/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-रेंगाकठेरा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-15.06 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
5/1	0.37
290/2	0.50
22	0.40
198	0.20
23/2	0.45
7	0.22
9	0.33
21	0.45
290/1	0.60
19	0.31
18	0.46
32/1	0.35
33/1	0.09
101/1	0.09
193/1	0.42
33/2	0.39
101/2	0.18
35/2	0.21
35/4	0.42
35/3	0.11
35/6	0.02
292	0.47
100	0.25
239	0.30
102/1	0.09
71/1	0.07
71/2	0.06
72	0.25
75	0.01
95	0.45
94	0.26
90	0.10
88	0.20
285	0.14
86	0.15
84	0.05
143	0.05
190	0.08
242	0.45
192/2	0.34
192/1	0.01
210	0.74
226/2	0.11
227	0.16
234	0.38
233	0.11
232/1	0.12
240/1	0.22
240/2	0.30
333/1	0.06
332	0.13
330/3	0.01
330/6	0.40
286/1	0.15
284	0.02
291	0.49
297	0.16
298/1	0.70
87	0.25
85	0.15
83	0.05
योग 61	15.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जामरी व्यपवर्तन क्रमांक-2 दायीं तट नहर कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 सितम्बर 2006

क्रमांक 7249/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगढ़

(ग) नगर/ग्राम-मुन्दगांव, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.09 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
27/1	0.20
70/1	0.47
70/2	0.03
27/2	0.03
262/2	0.24
28/3	0.03
69/1+2	0.50
223/2	0.44
259	0.12
68	0.01
51/3	0.45
51/2	0.50
51/1	0.03
52/1	0.25
53	0.50
59/1	0.07
59/2	0.45
60/1	0.08
57	0.15
260	0.12
58	0.45
275	0.13
204	0.70
205	0.05
203/1	0.22
210/1	0.08
215	0.12
216	0.10
217	0.10
211/2	0.35
212	0.08
213	0.15
214	0.06
218/1	0.30
222	0.12
228	0.10
227	0.02
226	0.12
223/1	0.55
261	0.12
268	0.55
267	0.45
269	0.38
224	0.12
योग 44	10.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जामरी व्यपवर्तन क्रमांक-2 दायीं तट कार्य निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 6 सितंबर 2006

क्रमांक 1568/स्थापना/रा. मं./2006.—अधिसूचना क्रमांक 1379/स्थापना/रा. मं./2006 दिनांक 7 अगस्त, 2006 के द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्य के मध्य न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई के लिये कार्य विभाजन की व्यवस्था में प्रकरणों की सुनवाई हेतु नियत दिवसों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—.

(एक)	श्री व्ही. के. कपूर, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़.	1.	**सर्किट कोर्ट रायपुर** सामान्यत: सोमवार, गुरुवार एवं शुक्रवार को
		2.	**राजस्व मण्डल मुख्यालय बिलासपुर में** सामान्यत: सप्ताह के मंगलवार एवं बुधवार को
(दो)	श्री आर. सी. सिन्हा, सदस्य, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़.	1.	**राजस्व मण्डल मुख्यालय बिलासपुर में** प्रत्येक गुरुवार एवं शुक्रवार को
		2.	**सर्किट कोर्ट रायपुर में** मंगलवार एवं बुधवार

2. राजस्व मण्डल, मुख्यालय बिलासपुर में सोमवार को तथा सर्किट कोर्ट जगदलपुर में सामान्यत: माह के अंतिम सप्ताह में गुरुवार एवं शुक्रवार को पक्षकारों की सुविधानुसार अध्यक्ष/सदस्य प्रकरणों की सुनवाई कर सकेंगे.

3. राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, मुख्यालय बिलासपुर, सर्किट कोर्ट रायपुर/जगदलपुर में अध्यक्ष अथवा सदस्य की अनुपस्थिति में जो पीठासीन अधिकारी उपस्थित रहेंगे, उन्हें प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में सुनवाई कर निराकरण करने की अधिकारिता संबंधित पीठासीन अधिकारी को होगी.

व्ही. के. कपूर,
अध्यक्ष.